MR. SPEAKER: You have made the submission already. The statements are before me. I will have to go through them. I will do so. I cannot give a ruling offhand at once.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: What was my supplementary? It was about a chemical powder. The charge was very clear that its landed cost was Rs. 3.50 and it was sold in the black market at Rs. 7.50. The Minister talks about copper and aluminium. Are we jackasses sitting here?

MR. SPEAKER: Please sit down. There is no question of blackmarket or anything. The question is whether the Minister, knowing certain facts, superessed them. I will have to see. I will see that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You had my statement. You had the reply from the Minister, You had these before you for a considerable length of time. I brought this motion in December, if I remember aright. 24th December. You cannot take the edge of the issue like this. You had my statement. You had the Minister's statement. You had them for a long time.

MR. SPEAKER: There is no question of long time. It has come today.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: What has come today? — All right.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके साथ इस मामले पर भी आपका निर्णय हो जाये कि 115 कहां खत्म होता है और 224 कहां शुरु होता है। यह प्रिविलेज का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इस हाउस में यह कई बार आ चुका है कि जहां मिनिस्टर का स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट है उसके बारे में 115 है। जहां मेम्बर उसके बारे में स्टेटमेन्ट देता है वहां मिनिस्टर भी दे सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया जावे, सदन को गुमराह किया जाये तो क्या वह प्रिविलेज नहीं होता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो देखना पड़ेगा।

श्री मधु लिमये : सन 1966 की चेयर की रुलिंग है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मैं ने श्री सुब्रह्मण्यम के बारे में मामला उठाया था और उस पर चेयर की रुलिंग है कि अगर डेलीबरेटली ऐसा स्टेटमेन्ट है तो वह प्रिविलेज का मामला है।

श्री जांबुवत धोटे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, 115 को क्या आप मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह सवाल है। आपने 115 को बार बार इस्तेमाल किया और मिनिस्टर को संरक्षण दिया।

अध्यक्ष महोदय : वह तो जैसा प्राविजन होगा वैसा करना पड़ेगा।

श्री रामवतार शास्त्री।

12.29 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

ALLEGED NON-AVAILABILITY OF WHEAT AT RATION SHOPS OF PATNA AND DANAPUR (BIHAR)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, मैं अभी दो दिनों तक पटना के विभिन्न इलाकों और दानापुर के इलाकों में घूम कर आ रहा हूं। मैं ने देखा कि वहां तमाम जगहों पर राशन की दूकानों में गेंहूं बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पहले 15 दिन में एक यूनिट पर 1300 ग्राम गल्ला दिया जाता था लेकिन अब 15 दिन में 450 ग्राम कर दिया गया है और वह भी मिलता नहीं है। इससे लोगों में बहुत परेशानी है। आज आपने अखबारों मे पढ़ा होगा कि पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स ने यह फैसला किया है कि राशन की दिक्कत के सवाल को लेकर, मंहगाई के सवाल को लेकर वे

[श्री रामावतार शास्त्री]

आन्दोलन करेंगे । तो मैं इसलिये सवाल उठा रहा हूं कि गुजरात की स्थिति को दिमाग में रखिये और फौरन वहां व्यवस्था कीजिये ताकि राशन की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में और समय पर गेहूं और दूसरी चीजें लोगों को मिल सकें । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी दिन आन्दोलन हो सकता है । मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं मैं पांच किलो गेहूं के लिये कई दुकानों पर गया लेकिन गेहूं नहीं मिल सका । लोग घूम रहे हैं झोला ले कर, बाजार में पैसा ले कर घूमते हैं लेकिन चीज नहीं मिलती है । ऐसी स्थिति में आप तुरन्त व्यवस्था कीजिये ।

अध्यक्ष जी, अब होली भी आ गई है और बिहार में तो होली बहुत ज्यादा मनायी जाती है और होली में गेहूं, आटा, डालडा तथा चीनी का ही ज्यादा व्यवहार होता है । तो अगर आप ने गेहूं की व्यवस्था नहीं की तो आंदोलन होगा, बिहार सरकार भी बारबार आप का ध्यान इस गंभीरता की ओर आकृष्ट कर चुकी है कि हमारे पूरे सूबे मे हालत खराब है, आप 20,000 टन गेहूं देते है कि जरूरत है कम से कम एक लाख टन प्रति महीने की । वह आप देते नही, वहा की सरकार वसूल नही करती । तो वहा के लोग क्या भूखो मरेंगे, या हवा खा कर रहेंगे ? मैं चाहता हूं, मंत्री जी मौजूद हैं, बताये कि होली के मौके पर पटनाके नागरिको के लिये तथा बिहार के दूसरे जिलो के लिये जहां फसल मारी गई है वर्षा न होने के कारण, आप कुछ व्यवस्था करेंगे कि नही ? और खास तौर से होली के मौके को दिमाग में रख कर मैं चाहूंगा कि मंत्री जी कुछ कहें । नहीं तो हम यहां सवाल उठाये और वह नक्कारखाने में तूती की आवाज बन कर रह जाय इस से जनतंत्र को नुक्सान होगा । इसलिये आप कहें कि बिहार और पटना की जनता के लिये आप क्या करना चाहते हैं ? मंत्री जी इसे जरूर बताये ।

MR. SPEAKER: Order, please.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के बारे में कल आप ने कहा था कृषि मंत्री वक्तव्य देंगे । वह कब आयेगा खाद्य स्थिति के बारे में ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्डहार्बर) : पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बारे में बताने की बात की थी, उस का क्या हुआ ?

MR. SPEAKER: I had allowed a Calling Attention on it for tomorrow, but I am told because of the budget which is coming, for adjustment of time, it will have to go for some other date. I had allowed it yesterday. If the statement does not come I am going to allow it; it will have to come.

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बारे मे एक स्टेटमेंट के बारे मे आप ने कहा था इजाजत दे दी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने जो आप को कहा था वही बात हुई ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No, Sir You had told the Government to apprise this House of the actual facts.

MR. SPEAKER: Anyway, he has to come with that

SHRI JYOTIRMOY BOSU: When?

MR. SPEAKER: I shall enquire into that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Thank you.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, Since Mr. Shinde is here, let him make a statement on the situation in regard to the employees of the Food Corporation of India.

MR. SPEAKER: If I allow you, then others may also have to be allowed. I have already allowed one under rule 377. I am not allowing it. You cannot raise such things without my permission.

Now, Shri Mavalankar.